राजस्थान सरकार

तकनीकी शिक्षा विभाग

क्रमांकः एफ 18(5)त.शि./2004 जयपुर, दिनांक : 05 अगस्त, 2011

:: आदेश ::

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ईस्लामिक एकेडमी ऑफ एज्यूकेशन बनाम कर्नाटक राज्य में दिये गये निर्णय दिनांक 14.8.2003 के अनुसरण में गठित राज्य स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति द्वारा विभिन्न तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए सत्र 2011–12 के लिए गैर अनुदानित शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए अन्तरिम शुल्क संरचना इस शर्त के साथ लागू की जाती है कि समिति द्वारा इन पाठ्यक्रमों के लिए अंतिम रूप से निर्धारित की जाने वाले शुल्क संरचना यदि अधिक होती है तो संबंधित छात्र द्वारा शेष राशि प्रवेश पाने वाले संस्थान में जमा कराई जायेगी तथा शुल्क राशि में कमी होने की दशा में संबंधित संस्थान द्वारा शेष आधिक्य राशि छात्र/छात्राओं को वापस लौटाई जायेगी।

सत्र 2011–12 में नव प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए निम्नानुसार वार्षिक अन्तरिम शुल्क संरचना निर्धारित की जाती है :–

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	ट्यूशन फीस प्रति वर्ष	विकास शुल्क प्रति वर्ष	कुल शुल्क प्रति वर्ष	कोशनमनी (रिफण्डेबल)
1	ME/BE/B.Arch./BHMCT	44000	11000	55000	7500
2	MBA/MCA	35000	11000	46000	7500
3	M.Pharma	44000	11000	55000	7500
4	B.Pharma	35000	11000	46000	7500
5	D.Pharma	23000	11000	34000	7500
6	Diploma HMCT	18000	11000	29000	7500
7	Diploma Engg./Non Engg.	14000	8000	22000	7500

उक्त अन्तरिम शुल्क संरचना सत्र 2011–12 में नव प्रवेशित विद्यार्थियों पर ही लागू होगी। सत्र वर्ष 2011–12 से पूर्व में जिन विद्यार्थियों ने तकनीकी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लिया है उन पर उस वर्ष की अन्तरिम शुल्क संरचना ही प्रभावशील रहेगी, जब तक कि समिति के द्वारा अंतिम शुल्क संरचना का निर्धारण नहीं किया जाता।

इसके अतिरिक्त 3000/– रूपये प्रतिवर्ष ऐसे छात्र/छात्रों से लिया जायेगा जो National Board of Accreditation (NBA) द्वारा accredited branch में प्रवेश लेते हैं।

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा निर्धारित विश्वविद्यालय विकास शुल्क विद्यार्थियों से संस्थानों द्वारा अलग से वसूल किया जावेगा।

कॉशनमनी केवल प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले छात्रों से ही प्राप्त की जायेगी तथा पाठ्यक्रम समाप्ति के पश्चात नियमानुसार संस्था द्वारा छात्रों लौटा दी जायेगी।

उक्त अन्तरिम शुल्क संरचना वार्षिक है तथा संस्थानों द्वारा निम्नानुसारं उल्लेखित शर्तो के अनुसार ली जायेगी।

-: Conditions : -

The above interim fee shall be charged subject to the following conditions: -

1- The above fee structure shall be applicable for the first year students admitted in academic session in 2011-12.
2- The fee shall be collected semester-wise and not for the entire year.
3- The institutions are directed not to charge fee in excess of the revised fee and any such violation of the directions shall be viewed seriously.
4- Other charges like Transportation/Hostel & Mess charges shall be chargeable on actual basis i.e. without any profit & loss, the charges/caution money etc. shall have to be published on institutional website and also be informed to the Committee.
5- Every penny collected from students, whatsoever, and in any form, shall be well accounted for. The head-wise accounts shall separately be maintained and included in college/institution accounts. No diversion of fund from the institution shall be made to Society/Trust or even to any other institution under the same Society or Trust. The fee collected is to be utilized for the same institution only.
6- The Society/Trust expenditure shall not be claimed in the institution. The account of institution shall be separate from the account of Society/ Trust.
7- Faculty shall be recruited as per AICTE Norms and Salary full DA is to be paid accordingly.
8- The development & depreciation amount is to be deposited in a separate account "Depreciation Reserve Fund"
9- If at the time of inspection/Scrutiny of accounts, it is found that the above conditions are not followed or false accounts have been prepared, suitable action will be taken.

आज्ञा से,

(विपिन चन्द्र शर्मा)
प्रमुख शासन सचिव, त०शि०
एवं पदेन सदस्य संचिव
राज्य स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, तकनीकी शिक्षा।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा।
3. रजिस्ट्रार, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा।
4. समन्वयक–RPET -2011, RMCAAT-2011, RMAT-2011, को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश को अपनी वेब–साइट पर प्रसारित करे एवं संस्थानों को उनके ई–मेल पते पर भी सूचित करें।
5. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, जोधपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

विशेषाधिकारी, त०शि०